

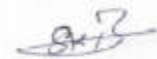
प्रश्न सं. [क. 3167]

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3167 तारांकित द्वारा श्रीदिनेश राय मुनमुन,सदस्य विधानसभा

जिला	वर्ष	समिति का नाम एवं कोड	अनियमितता का प्रकार	अनियमितता करने वाले कर्मचारी एवं अन्य का नाम	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
कटनी	2025-26	सहकारी विधणन संस्था कटनी (2342001)	फर्जी पंजीनयन	श्री प्रीतम सिंह लोधी कम्प्यूटर ऑपरेटर श्रीमती मीरा बाई श्री संपत अग्रवाल श्रीमती रंजना अग्रवाल	प्रथमिकी सूचना रिपोर्ट क्र. 0942 दिनांक 18.12.2025	प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है।
मैहर	2024-25	सेवा सहकारी समिति जरोहा (2355050)	धान उपार्जन में परिदान के समय 6226.67 क्विंटल की शार्टेज पाई गयी।	खरीदी प्रभारी-संजीव तिवारी, समिति प्रबंधक- दीपेन्द्र सिंह एवं समिति ऑपरेटर-अनिल कुमार दहायत	प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट क्र. 0107 दिनांक 08.03.2025	कार्यवाही प्रचलित है।
रीवा	2024-25	सेवा सहकारी समिति बीडा (2325045)	धान शार्टेज से 63 किसानों का भुगतान नहीं हुआ	समिति प्रबंधक- विपुल प्रताप सिंह, केन्द्र प्रभारी-राकेश शुक्ला, कम्प्यूटर ऑपरेटर-अजय द्विवेदी	समिति को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।	प्रकरण तहसील सेमरिया एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित है।
रीवा	2025-26	सेवा सहकारी समिति सिलपरा (2325273)	गेहूँ शार्टेज से 08 कृषकों का भुगतान नहीं हुआ।	समिति प्रबंधक- नीरज प्रताप सिंह, खरीदी प्रभारी-विपिन सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर-रूपेश कुमार सिंह	उपायुक्त सहकारिता रीवा एवं तहसील हजुर स्तर से वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।	वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।
सतना	2023-24 (गेहूँ)	जायतमाल बाबा स्व सहायता समूह केन्द्र कारीगोही (56212226)	उपार्जन में 13 ट्रक का फर्जी परिवहन दर्शाया परिवहन किये गये गेहूँ को भण्डारण हेतु जिले के गोदाम में भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया गया।	सीता गिरी, अमिलाषा सिंह, शिवा सिंह, सम्ठा सिंह, राकेश सिंह, संतोष कुमार द्विवेदी, नरेन्द्र पाण्डेय, धनन्जय द्विवेदी, अन्य उपार्जन केन्द्र स्थापना संबंधी।	गठित जौच दल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 406, 417, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई।	प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

सतना	2024-25 (धान)	सेवा सहकारी समिति देवमऊ दलदल केन्द्र, देवमऊ दलदल स्थल सियासील वेयरहाउस (59212196)	संस्था के प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी एवं वेयरहाउस संचालक द्वारा कुल उपार्जित मात्रा 54341.1 क्विंटल के विरुद्ध 1599.28 क्विंटल धान की शार्टेज पाई गई।	दीपक मिश्रा (संस्था के प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी), मानसिंह (वेयरहाउस संचालक)	गठित जौंच दल द्वारा संबंधितों पर कार्यवाही करते हुये शार्टेज का 75 प्रतिशत वेयरहाउस संचालक एवं 25 प्रतिशत समिति प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी पर राशि अधिरूपित किया जाकर शार्टेज की वसूली किया जाना प्रस्तावित किया गया। समिति प्रबंधक द्वारा अधिरूपित राशि 25 प्रतिशत (919586 रु. की वसूली की गई) शेष 75 प्रतिशत राशि की वसूली वेयरहाउस संचालक से किया जाना है।	प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
सतना	2025-26 (गेहूँ)	सेवा सहकारी समिति सेजहटा, केन्द्र हिनाती स्थल जबला बाबा वेयरहाउस (56312322)	संबंधित संस्था के केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक एवं वेयरहाउस संचालक के विरुद्ध कुल उपार्जित मात्रा से 410.5 क्विंटल मात्रा कम पाई गई।	संजीव सिंह (संस्था के प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी), मिथलेश पाण्डेय (वेयरहाउस संचालक)	गठित जौंच दल द्वारा संबंधितों पर कार्यवाही करते हुये शार्टेज मात्रा की 50-50 प्रतिशत वसूली संबंधित संस्था केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक एवं वेयरहाउस के विरुद्ध अधिरूपित की गई	वसूली की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रकरण नस्ती बंद है।



अनुमति अधिकारी,
जवा. जगह जगह
इसका प्रमाण प्रमाण
२०२४